न्यूनतम निर्धारित स्कंध

देशी शराब–112667.0 LPL.

म०देशी शराब–14442.0 LPL.

उत्पाद प्रपत्र 27 ङ

झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत पूर्वी सिंहभूम जिला में देशी/मसालेदार देशी शराब के भण्डार एवं थोक विक्री की अनुज्ञप्ति

(केवल झारखण्ड राज्य ब्रिवरेजेज कॉरपोरेशन लि०,राँची के लिए)

इसके द्वारा झारखण्ड राज्य ब्रिवरेजेज कॉरपोरेशन लि०,राँची,जिन्हें इसमें अनुज्ञाधारी कहा गया है,को पूर्वी सिंहभूम जिला की देशी शराब/मसालेदार देशी शराब/कम्पोजिट दुकान के अनुज्ञाधारियों को देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की थोक आपूर्ति के लिए झारखण्ड उत्पाद अधिनियम,1915 की धारा–20 के उपबंधों एवं इसमें आगे बतायी गयी शर्तो के अधीन उपायुक्त के द्वारा **दिनांक–01.10.2013 से दिनांक–31.3. 2014** के लिए निम्नांकित शर्तों के तहत् अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है, यथा–

शर्ते

1– इस अनुज्ञप्ति के अधीन बेची गई शराब आयुक्त उत्पाद द्वारा विहित मानक के अनुसार [illegible] अच्छी किस्म की होगी।

2– अनुज्ञाधारी झारखण्ड उत्पाद अधिनियम 1915 के उपबन्ध एवं उसके अधीन बनायी गयी नियम से जहाँ तक उनका उनसे सबंध हो आबद्ध रहेगा।

3– अनुज्ञाधारी जिला जिला के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा उस जिला [illegible] निर्धारित देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की थोक बिक्री के पूर्व जिला के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा [illegible]/– प्रति एल०पी०लीटर की दर से अनुज्ञप्ति शुल्क एकमुश्त अग्रिम जमा करेगा। यदि वित्तीय वर्ष में न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से अधिक आपूर्ति होती है तो न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से अधिक की गयी आपूर्ति की मात्रा पर उपरोक्त दर से थोक अनुज्ञप्ति शुल्क देय होगा।

4– जिला जिला के लिए झारखण्ड राज्य ब्रिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा उस जिला हेतू विनिर्दिष्ट प्रक्षेत्र के अनन्य विशेषाधिकार प्राप्त विनिर्माणशाला के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पास के जरिए विनिर्माणशाला से झारखण्ड राज्य कॉरपोरेशन लिमिटेड के गोदाम में देशी शराब/मसालेदार देशी शराब का परिवहन किया जायेगा।

5– इस अनुज्ञप्ति के अधीन देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की विक्री केवल उन्हीं व्यक्तियों/अनुज्ञप्ति द्वारा प्राप्त खुदरा विक्रेताओं के साथ की जाएगी जो जिले के अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद द्वारा हस्ताक्षरित पारक प्रस्तुत करेंगे।

6– इस अनुज्ञप्ति के अधीन देशी शराब/मसालेदार देशी शराब का संचय एवं विक्री के लिए मदिरा का निर्गमण प्रभारी उत्पाद पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में किया जाएगा। अनुज्ञाधारी उनकी सहायता के लिए प्रत्येक थोक गोदाम में अपना प्रतिनिधि/कर्मचारी रखेगा,जहाँ से खुदरा अनुज्ञाधारियों को निर्धारित दर पर देशी शराब/मसालेदार देशी शराब का निर्गमन जिला उत्पाद कार्यालय से निर्गत पारक के आधार पर किया जाएगा।

7– देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा क्रय किये गये शराब के मूल्य की राशि का भुगतान झारखण्ड राज्य ब्रिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को किया जायेगा तथा प्राप्त राशि के बदले झारखण्ड राज्य ब्रिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा प्राप्ति रसीद निर्गत की जाएगी।

8– इस अनुज्ञप्ति के अधीन बेची जानेवाली देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की शक्ति वही होगी जैसा की राजस्व पर्षद् झारखण्ड समय–समय पर नियत करें।

लगातार.............................2

9– अनुज्ञाधारी द्वारा अनुज्ञप्ति के अधीन देशी शराब/मसालेदार देशी शराब का वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के आधार पर न्यूनतम 15 दिनों का स्कंध हमेशा रखा जायेगा। विशेष परिस्थिति में इस संबंध में बिचलन आयुक्त उत्पाद के आदेश से ही संभव होगा। जब कभी विहित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से कम स्कंध हो तब अनुज्ञाधारी विहित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के अनुरूप स्कंध शीध्र पुरा कर देगा। यदि अनुज्ञाधारी जिला के भण्डागार के प्रभारी उत्पाद पदाधिकारी से ऐसा करने के लिए सूचना प्राप्त होने के 7 दिनों अन्दर ऐसा नहीं करता है तो वह ऐसे दण्ड का भागी होगा जैसा आयुक्त उत्पाद द्वारा ठीक समझा जायेगा।

10– अनुज्ञाधारी से अपेक्षा की जाती है कि वह उत्पाद अनुज्ञप्ति पर लागू समान्य शर्तो का सम्यक रूप से और निष्ठापूर्वक पालन करेगा।

11– अनुज्ञाधारी आयुक्त उत्पाद द्वारा समय–समय पर निर्गत किये जानेवाले सभी सामान्य एवं विशेष आदेश से आवद्ध रहेगा।

12– अनुज्ञाधारी देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की विक्री का लेखा जोखा अलग–अलग रखेगा एवं खुदरा विक्रेता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को मदिरा की विक्री नहीं करेंगा।

13– अनुज्ञाधारी अनुज्ञप्ति परिसर में मद्य पान की अनुमति प्रदान नहीं करेगा।

14– अनुज्ञाधारी देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं करेगा।

15– अनुज्ञाधारी राज्य में लागू सभी संबंधित विधि/नियम/अधीसूचना /संकल्प एवं अनुदेश का पालन सुनिश्चित करेगा।

16– अनुज्ञाधारी राजस्व पर्षद् द्वारा अधिसूचित शुष्क दिवस को मदिरा की विक्री नहीं करेगा।

17– अनुज्ञाधारी द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्तो के उल्लंघन के लिए उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त उत्पाद, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

स्थान– जमशेदपुर

तारीख–7.10.2013

सहायक आयुक्त उत्पाद
पूर्वी सिंहभूम
उपायुक्त
7/10/13

प्रतिलेख एकरारनामा

सर्वश्री ....उपर नामित अनुज्ञाधारी इसमें इसके पूर्व लिखित और व्यक्त बंधेजों और शर्तो के निर्वहन और पालन करने के लिए अपनी ओर से और अपने अधिकृत प्रतिनिधिओं की और से करार करता हूँ और अपने को आवद्ध करता हूँ।

तारीख–

साक्षी–

हस्ताक्षर पता

सचिव–सह–आयुक्त उत्पाद झारखण्ड,राँची के पत्र संख्या–259 दिनांक–7.02.14 के द्वारा प्राप्त स्वीकृत्यादेश के अनुशरण में उपायुक्त,पूर्वी सिंहभूम,जमशेदपुर के संचिका आदेश दिनांक–01.4.2014 के आलोक में अनुज्ञप्ति का नवीकरण वित्तीय वर्ष 2014–15 (दिनांक–01.04.2014 से दिनांक–31.03.2015 तक) के लिए किया जाता है।

सहायक आयुक्त उत्पाद,
पूर्वी सिंहभूम,जमशेदपुर।

सचिव–सह–आयुक्त उत्पाद,झारखण्ड,राँची के पत्र संख्या–273 दिनांक–12.02.15 के द्वारा प्राप्त स्वीकृत्यादेश के अनुशरण में उपायुक्त,पूर्वी सिंहभूम,जमशेदपुर के संचिका आदेश दिनांक–30.03.2015 के आलोक में अनुज्ञप्ति का नवीकरण वित्तीय वर्ष 2015–16 (दिनांक–01.04.2015 से 31.03.2016 तक) के लिए किया जाता हैं।

सहायक आयुक्त उत्पाद,
पूर्वी सिंहभूम,जमशेदपुर।

आयुक्त उत्पाद झारखण्ड,रॉची के पत्र सं0 322 दिनांक 01.02.2016 के द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुशरण में उपायुक्त पूर्वी सिहभूम जमशेदपुर के संचिका आदेश दिनांक 31.03.2016 आलोक में अनुज्ञप्ति का नवीकरण वित्तीय वर्ष 2016–17 (दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक) के लिए किया जाता है।

सहायक आयुक्त उत्पाद
पूर्वी सिहभूम,जमशेदपुर।

न्यूनतम निर्धारित स्कंध
विदेशी शराब–146180.0 LPL.
बीयर–175067.0 BL.

उत्पाद प्रपत्र सं०– 1B

अधकट्टी

विदेशी शराब(बीयर एवं वाईन सहित)भण्डारण एवं विक्री के लिए थोक अनुज्ञप्ति जिसके तहत् कॉरपोरेशन के गोदाम से जिला के खुदरा अनुज्ञाधारियों को आपूर्ति हों।

(केवल झारखण्ड राज्य ब्रिवरेजेज कॉरर्पोरेशन लिमिटेड,राँची के लिए)

जिला का नाम	–	पूर्वी सिंहभूम,जमशेदपुर।
रजिस्टर सं०	–	01 में लाईसेन्स संख्या –01 / 2013–14
लाईसेन्स की तारीख –	–	07 / 10 / 2013
अनुज्ञाधारी का नाम	–	झारखण्ड राज्य ब्रिवरेजेज कॉरर्पोरेशन लिमिटेड,राँची
लाईसेन्स अवधि	–	दिनांक–01.10.2013 से 31.3.2014
विक्री गोदाम का स्थान	–	श्री बालाजी स्टील ग्राम–गेरूआ,पोस्ट–बोड़ाम, ग्राम–गेरूआ,पोस्ट–बोड़ाम, जिला–पूर्वी सिंहभूम,जमशेदपुर के कार्यरत कारखाना।
चौहद्दी	–	अनुमोदित नक्शा की प्रति संलग्न।
वार्षिक अनुज्ञप्ति फिस	–	36,00,000 / – रूपया
अग्रिम रूप से भुतान रूपया	–	36,00,000 / – (समेकित रूप से 2,30,00,000 / – रूपया चलान संख्या–51 दिनांक–16.7.2013 के द्वारा प्रोजेक्त भवन घ्रुर्वा,राँची में जमा)।

विदित हो कि सर्वश्री झारखण राज्य ब्रिवरेजेज कॉरर्पोरेशन लि०,राँची को जिला के उपायुक्त,दिनांक–01.10.2013 से 31.3.2014 तक पेय विदेशी शराब के भण्डारण एवं थोक विक्री के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं ताकि जिला के खुदरा अनुज्ञाधारियों को इसकी आपूर्ति हो सके।

1– इस लाईसेन्स के चालू रहने की शर्त के रूप में लाईसेन्सधारी से अपेक्षा की जाती है कि वह निम्नलिखित अनुच्छेदों और सभी उत्पाद शुल्क लाईसेन्सों पर लागू सामान्य शर्तो का सम्यक रूप से ऑर निष्ठापूर्वक पालन करेगा और उसके अनुसार कार्य करेगा।

2– झारखण्ड राज्य ब्रिवरेजेज कॉरर्पोरेशन लि० राज्य सरकार को जिला के लिए स्वीकृत अनुज्ञप्ति के लिए अग्रिम के रूप मे वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस रू०–36,00,000 / – का भुगतान करेगा। वह वार्षिक अनुज्ञाशुल्क का भुगतान संबंधित जिला स्थित कोषागार / उप कोषागार में करेगा।

लगातार..............................2

3–(क) अनुज्ञाधारी किसी भी खुदरा विक्रेता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को मदिरा की विक्री नहीं करेगा।

(ख) अनुज्ञाधारी इस लाईसेन्स के अधीन अमिश्रत सादा स्प्रीट या परिशोधित स्प्रीट नहीं बेचेगा।

4-- अनुज्ञाधारी अनुज्ञप्ति परिसर में मद्य पान नहीं करने देगा।

5– अनुज्ञाधारी इस लाईसेन्स के अधीन 25 डिग्री यू०पी० शक्ति से कम शक्ति का व्हिस्की,ब्राण्डी,बोदका,रम एवं जीन का विक्री नहीं करेगा।

6–' अनुज्ञाधारी इस लाईसेन्स के अधीन अनुमोदित परिसर के अलावा कहीं और विक्री हेतू विदेशी शराब/बीयर/संचय नहीं करेगा बशर्ते कि इसके लिए आयुक्त उत्पाद द्वारा विशेष अनुमति प्रदान की गयी हो।

7– अनुज्ञाधारी विदेशी शराब/बीयर उधार नहीं बेचेगा एवं थोक विक्री हेतू इसका प्रयाप्त स्कंध बनाये रखेगा।

8– अनुज्ञाधारी मदिरा एवं उसके लेबूल की प्रकृति में कोई परिर्वतन नहीं करेगा जिसकी भण्डारण की गयी हो।

9-- अनुज्ञाधारी अनुज्ञप्ति परिसर में विदेशी शराब/बीयर के स्कंध एवं विक्री का पूरा व्यौरा प्रतिदिन लेखा पंजी में अंकित करेगा। समय समय पर निरीक्षी पदाधिकारी इसकी जॉच की जा सकेगी।

10– अनुज्ञाधारी किसी को भी जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद द्वारा निर्गत पास के बीना मदिरा की विक्री नहीं करेगा।

11– अनुज्ञाधारी अनुज्ञप्ति परिसर में मदिरा के पेटियों को ब्राण्डवार इस प्रकार संग्रहित करेगा कि उसे निरीक्षण के समय सत्यपन में सहुलियत हों।

12– अनुज्ञाधारी किसी भी ब्राण्ड के साथ पेटी से अधिक पेटियों को एक के उपर एक नहीं रखेगा।

13– अनुज्ञाधारी की शर्तो के उल्लंघन के लिए उत्पाद अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की जा सकेगी।

14– अनुज्ञाधारी गोदाम के कार्य करने वाले प्रबंधन एवं कार्य करने वाले अन्य प्राधिकृत व्यक्तियों की सूची आयुक्त उत्पाद को देना सुनिश्चित करेगा।

लगातार...........................3

15– अनुज्ञाधारी समय समय पर आयुक्त उत्पाद द्वारा निर्गत सामान्य तथा विशेष निर्गत अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

16– अनुज्ञधारी उत्पाद अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बनायी गयी नियमावली का अनुपालन करेगा तथा उससे आवद्ध करेगा।

17– अनुज्ञाधारी राज्य में लागू सभी संबंधित विधि/नियम/अधिसूचना/संकल्प एवं अनुदेश का पालन सुनिश्चित करेगा।

18– अनुज्ञाधारी राजस्व पर्षद् द्वारा अधिसूचित शुष्क दिवस को मदिरा की विक्री नहीं करेगा।

टिप्पणीः उपर लिखित किन्ही शर्तो या उत्पाद शुल्क लाईसेन्सों पर लागू सामान्य शर्तो का उल्लंघन होने पर यह लाईसेन्स जप्त कर दिया जायेगा और लाईसेन्स विधि या नियम द्वारा विहित सभी या किन्ही दण्ड का भागी होगा।

सहायक आयुक्त उत्पाद
पूर्वी सिंहभूम
उपायुक्त

स्थान – जमशेदपुर

तिथि – 7.10.2013

प्रबन्ध निदेशक,झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड,राँची द्वारा प्राधिकृत गोदाम मैनेजर/विक्रेताओं की सूची

जिला	नाम	पिता का नाम	उम्र	स्थायी पता	गोदाम मैनेजर/ विक्रेता का हस्ताक्षर	लाईसेसधारी / अनुज्ञाधारी के प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर

सचिव-सह-आयुक्त उत्पाद झारखण्ड,राँची के पत्र संख्या-259 दिनांक-7.02.14 के द्वारा प्राप्त स्वीकृत्यादेश के अनुशरण में उपायुक्त,पूर्वी सिंहभूम,जमशेदपुर के संचिका आदेश दिनांक-01.4.2014 के आलोक में अनुज्ञप्ति का नवीकरण वित्तीय वर्ष 2014-15 (दिनांक-01.04.2014 से दिनांक-31.03.2015 तक) के लिए किया जाता है।

सहायक आयुक्त उत्पाद,
पूर्वी सिंहभूम,जमशेदपुर।

सचिव-सह-आयुक्त उत्पाद,झारखण्ड,राँची के पत्र संख्या-273 दिनांक-12.02.15 के द्वारा प्राप्त स्वीकृत्यादेश के अनुशरण में उपायुक्त,पूर्वी सिंहभूम,जमशेदपुर के संचिका आदेश दिनांक-30.03.2015 के आलोक में अनुज्ञप्ति का नवीकरण वित्तीय वर्ष 2015-16 (दिनांक-01.04.2015 से 31.03.2016 तक) के लिए किया जाता हैं।

सहायक आयुक्त उत्पाद,
पूर्वी सिंहभूम,जमशेदपुर।

आयुक्त उत्पाद झारखण्ड,रॉची के पत्र सं0 322 दिनांक 01.02.2016 के द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुशरण में उपायुक्त पूर्वी सिहभूम जमशेदपुर के संचिका आदेश दिनांक 31.03.2016 आलोक में अनुज्ञप्ति का नवीकरण वित्तीय वर्ष 2016-17 (दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक) के लिए किया जाता है।

सहायक आयुक्त उत्पाद
पूर्वी सिहभूम,जमशेदपुर।